RTI

RTI

RTI

Statutory Declaration Under Right to Information (RTI) Act

S. B. D. Government College, Sardarshahar, Churu (Rajasthan) is a higher educational Institute governed by the State Government of Rajasthan. It runs as per the rules and regulations of Government of Rajasthan and is affiliatec to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. The college offers UG and PG courses in faculties of Sciences, Arts and Commerce. Our website covers the statutory declaration under Section 4 (1) (b) of RTI Act 2005.

The college follows RSR (Rajasthan Service Rules), GF & AR, MHRD and UGC rules for power and duties for officers and employees.

Public Information Officer (PIO): Dr. Vinod Kumar Swami

Officiating Principal

S. B. D. Government College Sardarshahar, Churu

Pin- 331403

Email- sbdgcs@gmail.com

Contact- 9414327820

Assistant Public Information Officer (APIO): Sh. Sohanlal

Associate Professor

S. B. D. Government College Sardarshahar, Churu

Pin- 331403

Contact- 9413616373

RTI

Statutory Declaration Under

Right to Information (RTI) Act

S. B. D. Government College, Sardarshahar, Churu (Rajasthan) is a Higher Educational Institute governed by the State Government of Rajasthan. It runs as per the rules and regulations of Government of Rajasthan and is affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. The college offers UG and PG courses in faculties of Arts and Commerce and Sciences. Our website covers the statutory declaration under Section 4 (1) (b) of RTI Act 2005.

The college follows RSR (Rajasthan Service Rules), GF & AR, MoE and UGC rules for power and duties for officers and employees.

Public Information Officer (PIO):

Dr. Vinod Kumar Swami
Officiating Principal
S. B. D. Government College Sardarshahar, Churu
Pin- 331403
Email- sbdgcs@gmail.com
Contact- 9414327820

Assistant Public Information Officer (APIO): Sh. Sohanlal
Associate Professor
S. B. D. Government College Sardarshahar, Churu
Pin- 331403
Contact- 9413616373

एस.बी.डी. राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य
एस.बी.डी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सरदारशहर (चूरू)

सूचना का अधिकार

अतिआवश्यक

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/2022)लोसू/आकाशि/2005/325-336 दिनांकः– 14-2-2022

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3(22)प्रसू/सूअप्र/2006 दिनांक 6–1–2022 के द्वारा अवगत कराया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट पर स्वतः प्रकट (suo motu disclosure) की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण से संबंधित कार्य हरीशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। पर–पक्षीय ऑडिट (Third Party Transparency Audit) कार्य प्रारम्भ करने पर पाया गया कि अधिकांश लोक प्राधिकरणों ने अपने विभाग वेबसाईट पर धारा 4 (1) (बी) के अनुरूप 17 बिन्दुओं की सूचना को या तो प्रकट ही नहीं की है या प्रकट भी की है, तो उन्हें अधिनियम की भावना के अनुरूप, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया गया हैं या उन्हें नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है। इससे लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण संबंधित कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) की पालना हेतु विभाग की ओर से समय–समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किये गये है, किन्तु विभागों द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही है। अतः समस्त लोक प्राधिकरणों को अपने विभाग की वेबसाईट को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) में उल्लेख 17 बिन्दुओं के अनुरूप और अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे संबंधित विभाग की वेबसाईट पर स्वतः प्रकट की गई सूचना के पर–पक्षीय अंकेक्षण (Third Party Transparency Audit) का कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जा सके (फोटो प्रति संलग्न है)

इस संबंध में इस विभाग, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों (SPIO) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/2022)लोसू/आकाशि/2005/325-336 दिनांकः– 14-2-2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– इस संबंध में इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 2471–2474 दिनांक 5–12–2016 एवं 2475–2478 दिनांक 5–12–2016 की फोटो प्रतियां संलग्न हैं।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक प. 3(22)प्रसू/सूअप्र/2006 दिनांक 6–1–2022 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्टर, राजस्थान सूचना आयोग राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. चौराहा, झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017 के पत्रांक प. 3(1)रा.सू.आ./वा.प्रति./2021/3959 दिनांक 24–12–2021 के संदर्भ में।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
11. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित) राजस्थान।
12. वेबसाईट प्रभारी–आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

Sh. Shukla
आजादी का अमृत महोत्सव 17·1·2022

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

394

क्रमांक प. 3(22) प्रसू/सूअप्र/2006 जयपुर, दिनांक : 06-01-2022.

परिपत्र

42 17/1/22

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट पर स्वतः प्रकट (suo motu disclosure) की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण से संबंधित कार्य हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। पर–पक्षीय ऑडिट (Third party transparency audit) कार्य प्रारम्भ करने पर पाया गया है कि अधिकांश लोक प्राधिकरणों ने अपने विभाग की वेबसाईट पर धारा 4(1)(बी) के अनुरूप 17 बिन्दुओं की सूचना को या तो प्रकट ही नहीं की है या प्रकट भी की है, तो उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया गया है या उन्हे नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है। इससे लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट पर स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण से संबंधित कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अधिनियम की धारा 4(1)(बी) की पालना हेतु विभाग की ओर से समय समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किये गये है, किन्तु विभागो द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही हैं।

अतः समस्त लोक प्राधिकरणों अपने विभाग की वेबसाईट को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) में उल्लेखित 17 बिन्दुओं के अनुरूप और अद्यतन करयावा जाना सुनिश्चित करावें, जिससे संबंधित विभाग की वेबसाईट पर स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण (Third party transparency audit) का कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जा सकें।

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।

शासन उप सचिव

सूचना का अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/2471-2474 दिनांक:– 5-12-16

आदेश

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 8–7–16 ने संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20–6–16 के द्वारा D.B. PIL Petition No. 14730/2014 Suo Motu V/S State of Rajasthan Date of Order 8.9.2015 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन–4 में उल्लेखित स्वघोषणा की पालना सुनिश्चित करने हेतु भिजवाया गया है।

समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि **"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत"** नाम से निम्नलिखित बिन्दुओं की सम्पूर्ण पालना में करते हुय अपने–अपने महाविद्यालय की विभागीय वेबसाईट पर तत्काल प्रभाव से अपलोड करें :–

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ :–

(क) अभिलेखों को सूचीबुद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध, कम्प्यूटरीकृत किया जाना।

(ख) स्व–घोषणाएँ (17 बिन्दुओं) :–

(1) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

(8) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियाँ, उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।

(14) किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे समिम्मलित है।

.....2/

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चियों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिये कारण उपलब्ध करायेगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि वह उप–धारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वेप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिये उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़ें।

(3) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिये प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागूत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अंत्यतत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रोनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। **स्पष्टीकरण :–** उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के प्रयोजनों के लिये "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इन्टरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/2471-2474 दिनांकः– 5-12-16

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 5(7)शिक्षा–3/2015 पार्ट दिनांक 8–7–16 के संदर्भ में।

2 संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20–6–16 के संदर्भ में।

3 उप सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

4 समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित), राजस्थान।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

सूचना का अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/2475-2478 दिनांकः– 5/2/16

आदेश

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 8–7–16 ने संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20–6–16 के द्वारा D.B. PIL Petition No. 14730/2014 Suo Motu V/S State of Rajasthan Date of Order 8.9.2015 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन–4 में उल्लेखित स्वघोषणा की पालना सुनिश्चित करने हेतु भिजवाया गया है।

इस विभाग के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि **"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 अन्तर्गत कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर"** के नाम से निम्नलिखित बिन्दुओं की सम्पूर्ण पालना में करते हुये विभागीय वेबसाईट पर तत्काल प्रभाव से अपलोड करें :–

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ :–

(क) अभिलेखों को सूचीबुद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध, कम्प्यूटरीकृत किया जाना।

(ख) स्व–घोषणाएँ (17 बिन्दुओं) :–

(1) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

(8) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियाँ, उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।

(14) किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे समिम्मलित है।

.....2/

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चियों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिये कारण उपलब्ध करायेगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि वह उप–धारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वेप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिये उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़ें।

(3) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिये प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागूत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अंत्यतत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रोनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। **स्पष्टीकरण :–** उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के प्रयोजनों के लिये "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इन्टरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/2475-2478 दिनांक:– 5/12/16

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 5(7)शिक्षा–3/2015 पार्ट दिनांक 8–7–16 के संदर्भ में।
2 संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20–6–16 के संदर्भ में।
3 उप सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
4 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी. कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएँ, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, पी.एण्ड सी. कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
9 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्यलेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।